न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 81 / 2019 **{RCMS 2019/00161}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. संतोष देवी पत्नी परसाराम जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :– 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 अनुसार ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 691 / 247 रकबा 1.5987 प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरान की भूमि मे 0.01 हैक्टर में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के निजि दुकानो का निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का मण्डावरा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रही है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 03.01.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण R.L.R.Act 1956 की धारा 90 ए के तहत प्रकरण सं. 06 / 2019 दर्ज होकर जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम मण्डावरा के उपरोक्त खसरा नम्बर 691 / 247 में प्रतिवादी के हक हिस्से में से 0.01 हैक्टर भूमि को राजकीय दर्ज कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 दैनिक [illegible] अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल [illegible] के आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 की प्रमाणित प्रति [illegible] प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 691 / 247

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 1.5987 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये निजि दुकानो का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- मण्डावरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- मण्डावरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 302
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 222

काश्तकार का नामः-

1. सन्तोषदेवी पत्नि परसाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. कुचामनसिटी खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
691/247	1.5987	बारानी 1	1.5987	9.59		नोट खसरा संख्या : 691/247 पर TDR साहब के आदेश क्रमांक 244	
						दिनांक 10.02.2014 की पालना में स्थगन। नोट लगा हुआ है।नोट	
						खसरा संख्या : 691/247 पर श्रीमान TDR सा. कुचामनसिटी के आदेश	
						244 दि. 10.02.2014 की पालना मे श्रीमान SDM सा. के निर्णय	
						अनुसार गत ना.स. 137 व 172 अपास्त होने से यथा स्थिति का	
						अंकन किया नोट लगा हुआ है।	
कुल खसरे	1.5987		1.5987	9.5900			

प्रश्नगत खसरा 691/247 रकबा 1.5987 हैक्टर प्रतिवादी के अकेले की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा पानी का आर.ओ.प्लांट लगाकर निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 691/247 रकबा 1.5987 मे से 0.01 हैक्टर (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 81/2019 **{RCMS 2019/00166}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. सन्तोष देवी पत्नी परसाराम जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी

दावा :— **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू—बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 691/247 रकबा 1.5987 मे से 0.01 हैक्टर (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की गई।

दस्तखत.................................

ओहदा.................................(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा जो दो फरीक ने किये डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested